

विधिपत्रा.पत्र 804/2025 राणाशम बनाम रामकिंह

4/2/2026 वकील प्रार्थी उपस्थित /

वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीसमूह जारी रिज्यू नोटिस की रसीद व डेलिवरी वाड नोटिस Delivered पेश की, जो शाकिल फावली को पतावली वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 24/1/26 को पेश हो

जायपुर
जायपुर

24/1/2026 वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स-1 उपस्थित /
प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। फावली

व मूल अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 9/1/2024 का अवलोकन किया गया। उक्त



स्थगन आदेशानुसार अपीलार्थीन स्वसरानु की भूमि का वंचन / हस्तान्तरण / रहन नहीं करने का आदेश दिया गया था। जबकि

वकील अपीलार्थ (प्रार्थी) द्वारा उक्त प्रा.पत्र निमीण कार्य चलाने व अन्य निमीण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्ध करने हेतु पेश किया गया।

अतः उक्त प्रा.पत्र में न्यायालय आदेश दिनांक 9/1/2024 का उल्लंघन अप्रार्थी स-1 द्वारा नहीं किये जाने से खतरीफ किया जाता है। फावली फैसल शुमार होकर मूल अपील के साथ नहीं हो

जायपुर